

15.09.25

अधिवक्तागण उपरिगत। वारी अधिवक्ता श्री
 शर्देश शारदा लुवाटा वारी शानी के वीना
 होने का दरतावेज पेडा का वारी के सम्बन्ध
 होने एवं वीना होने के उपरिगत होने के
 परिमाण में अन्तर्गत होने के कारण उपरिगत
 दिनांक पत्रावली को 26.09.25 को निपट
 किए जाने का निर्देश जमा जमा किये
 पत्रावली Targeted No. 1 होने के प्रतिदिन निपट
 किया जावे आवक होने के वारीगण का यह
 निर्देश अन्तर्गत जमा जाकर उपरिगत दिनांक
 को अन्तर्गत अन्तर्गत उपरिगत पत्रावली 16.09.25
 को निपट भी जारी है।

अपर जिला अधिकारी
 फतेहपुर-शेखावाटी (सिकर) राज.